

सं०सं०-1/व०आ०सं०-02/2017- 74(1) १०

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान,
पावापुरी, नालन्दा।

पटना, दिनांक- १२ / १२ / 2017

विषय:- वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल रु० 4,03,41,250/- (रुपये चार करोड़ तीन लाख एकतालिस हजार दो सौ पचास) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्राचार्य, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा के पत्रांक-1218 दिनांक-13.12.2017 के आलोक में वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा को विपत्र कोड-20-2210051050022 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार वेतन भत्ते एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रु० 4,03,41,250/- (रुपये चार करोड़ तीन लाख एकतालिस हजार दो सौ पचास) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।


2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2356/वि०(2), दिनांक-12.04.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दिनांक-18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0022-वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईंसेज, पावापुरी विपत्र कोड-20-2210051050022 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक में उपबंधित राशि से की जायेगी।


5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।



7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत किया जाएगा।
8. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
9. इस राशि की निकासी कोषागार, राजगीर (नालन्दा) से की जाएगी।
10. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
11. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन /


21/12/17
(सचिवदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव


ज्ञापांक:-1/व0आ0सं0-02/2017-740090 /स्वा0, पटना, दिनांक- 22/12/2017

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, राजगीर (नालन्दा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


21/12/17
सरकार के विशेष सचिव

वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साइन्सेज, पावापुरी, विपत्र कोड- 20-2210051050022 को वित्तीय वर्ष
2017-18 में राशि का अतिरिक्त आवंटन

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	अद्यतन कुल उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0022.01.01 वेतन	46000000	46000000	34500000	11500000	46000000	0
0022.01.03 जीवन यापन भत्ता	56295000	56295000	42221250	14073750	56295000	0
0022.01.04 मकान किराया भत्ता	4200000	4200000	3150000	1050000	4200000	0
0022.01.05 परिवहन भत्ता	0	0	0	0	0	0
0022.01.06 चिकित्सा भत्ता	250000	250000	187500	62500	250000	0
0022.01.07 अन्य भत्ता	1800000	1800000	1350000	450000	1800000	0
योग- वेतन एवं भत्ते	108545000	108545000	81408750	27136250	108545000	0
0022.06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	500000	500000	250000	250000	500000	0
0022.11.01 यात्रा व्यय	100000	100000	50000	50000	100000	0
0022.13.01 कार्यालय व्यय	2000000	12000000	12000000	0	12000000	0
0022.13.02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	200000	200000	100000	100000	200000	0
0022.13.03 दूरभाष	25000	125000	125000	0	125000	0
0022.13.04 विद्युत प्रभार	7000000	36000000	36000000	0	36000000	0
0022.13.05 विधि प्रभार	50000	50000	50000	0	50000	0
0022.13.06 वर्दी/पोशाक	10000	10000	5000	5000	10000	0
0022.16.01 प्रकाशन एवं मुद्रण	100000	100000	50000	50000	100000	0
0022.20.02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	50000	50000	25000	25000	50000	0
0022.20.03 प्रशिक्षण व्यय	400000	400000	200000	200000	400000	0
0022.21.01 सामग्री एवं पूर्तियां	10000000	10000000	5000000	5000000	10000000	0
0022.21.02 दवा भण्डार	100000	100000	75000	25000	100000	0
0022.28.01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	0	0	0	0	0	0
0022.28.02 संविदा सेवायें	30000000	30000000	22500000	7500000	30000000	0
0022.52.01 मशीनें एवं उपस्कर -कार्यालय	10000000	10000000	5000000	0	5000000	5000000
कुल योग :-	169080000	208180000	162838750	40341250	203180000	5000000

(रुपये चार करोड़ तीन लाख एकतालिस हजार दो सौ पचास)

74(1)ब0

22-12-17

1
सरकार के विशेष सचिव
21/12/17